तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **लक्ष्मणराम बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी फलोदी)** **सू.अ.अ. अपील संख्या 159 / 2020**	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.10.20	अपीलार्थी लक्ष्मणराम पुत्र मंगनाराम विश्नोई, पता डाबर मूलराज लोहावट जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.02.2020 में उसके द्वारा (1) श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी फलोदी के आदेश कमांक 1033 दिनांक 5/6/75 व आदेश कमांक 2334 दिनांक 14.11.77 व 3225 दिनांक 8/4/79 को ग्राम पंचायत लोहावट विश्नावास के नाम आबादी आवंटन आदेश व प्रस्तावित भूमि का प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील [illegible] गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh Inda
Date: 2021.01.12 17:29:27 IST
Reason: SelfAttested